कार्यालय– अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर
छ0स्टे0पा0डिस्ट्री0कं0लि0, का क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल,
वन विद्यालय के सामने, गीदम रोड, जगदलपुर (छ0ग0) पिनकोडः–(494–001)

विषयः– विद्युत वोल्टेज कम आने पर शिकायत के संबंध में।

प्रकरण क्रमांकः–
"जगदलपुर / 15 / 2026"

श्री प्रेमलाल निषाद, ...आवेदक
S/o श्री रामजी निषाद,
ग्रामः– नारायणपुर कुकरीपारा,
भानुप्रतापपुर उत्तर बस्तर कांकेर,
(494–669) मो0नं0 9300330069

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग, ...अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
भानुप्रतापपुर (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 20.05.2026 को पारित किया गया)

(1) आवेदक के ऑनलाईन मूल शिकायत दिनांक 17.05.2026 यह है कि :–

महोदय मैंने दिनांक 16.03.2026 को विद्युत समस्या के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका शिकायत क्रमांक CGRFT110000186 है। किन्तु आज दिनांक तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। विशेष रूप से निवेदन है कि यह समस्या केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मेरे ग्राम के समस्त निवासियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निरंतर (कम वोल्टेज / अस्थिर विद्युत आपूर्ति / अन्य समस्या) के कारण ग्रामवासियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है तथा विद्युत उपकरणों को भी नुकसान पहुँचने की आशंका बनी हुई है।

(2) यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भानुप्रतापपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांकः 267 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से फोरम को सूचित किया कि :–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा, निवासी श्री प्रेमलाल निषाद पिता रामजी निषाद के द्वारा उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरण क्रमांक 15–2026 दिनांक 17.04.2026 जिसमें बी0पी0क्र0 1005506443 श्री प्रेमलाल निषाद पिता रामजी निषाद के नाम पर विद्युत कनेक्शन के साथ उनके क्षेत्र में लो–वोल्टेज की समस्या रहने के कारण पंखा,

जगदलपुर

फ्रिज, मोटर तथा अन्य विद्युत उपकरण सही ढंग से कार्य नहीं करने तथा उपकरण के खराब होने संबंध में दिनांक 16.03.2026 को ऑनलाईन के माध्यम से शिकायत किया गया था परन्तु विभाग के द्वारा शिकायतकर्ता के लो–वोल्टेज समस्या दूर नहीं किये जाने पर उपभोक्ता द्वारा फोरम में दर्ज कराये गये प्रकरण के संबंध में आपके द्वारा जवाब दावा प्रतिउत्तर चाही गयी है।

तत् संबंध में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 233 दिनांक 21.04.2026 के तहत् कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र भानुप्रतापपुर (श0) को उपभोक्ता श्री प्रेमलाल निषाद घरेलु कनेक्शन बी0पी0क्र0 1005506443 का तथा उपभोक्ता के मोहल्ले में लो–वोल्टेज की समस्या संबंध में जानकारी चाही गयी। कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र भानुप्रतापपुर (श0) के द्वारा पत्र क्रमांक 35 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 16.03.2026 को सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुर एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम नारायणपुर में लो–वोल्टेज समस्या होने की शिकायत की गयी थी परन्तु उनके शिकायत के पूर्व कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र भानुप्रतापपुर (शहर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक 507 दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से उक्त ग्राम में 25 के0व्ही0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हेतु प्रकरण तैयार कर उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसकी सूचना मौखिक रूप से सरपंच एवं ग्रामवासी को दिया गया था। श्री प्रेमलाल निषाद पिता रामजी निषाद के द्वारा लो–वोल्टेज की समस्या के संबंध में उपभोक्ता फोरम को शिकायत किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र–भानुप्रतापपुर (श0) के द्वारा उपभोक्ता के परिसर की वोल्टेज का जांच करने पर दिनांक 22.04.2026 को 198 वोल्ट वोल्टेज एवं दिनांक 23.04.2026 को 200 वोल्ट वोल्टेज पाया गया। कनिष्ठ यंत्री भानुप्रतापपुर (श0) के द्वारा अपने पत्र क्र0 36 दिनांक 24.04.2026 के माध्यम से श्री प्रेमलाल निषाद पिता रामजी निषाद ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा को लो–वोल्टेज निवारण के संबंध में 25 के0व्ही0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई है।

कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र–भानुप्रतापपुर (श0) द्वारा ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा में लो–वोल्टेज की समस्या का निवारण संबंध में अपने पत्र क्रमांक 507 दिनांक 16.02.2026 के तहत् 25 के0व्ही0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का प्राकल्लन इस कार्यालय को प्रेषित करने पर संभागीय कार्यालय भानुप्रतापपुर द्वारा प्रकरण की तकनीकी स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया। अधीक्षण यंत्री (वृत्त) कांकेर द्वारा कार्यालयीन टीप क्रमांक 5962 दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान दिया गया। इस कार्यालय के जावक क्रमांक 4410 दिनांक 23.03.2026 के तहत् कार्यपालन अभियंता (परियोजना) संभाग कांकेर को कार्यादेश

जारी किया गया वर्तमान में उक्त प्रकरण परियोजना संभाग कांकेर के कार्यालय में निविदा हेतु प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा में 25 के0व्ही0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया जावेगा, नये ट्रांसफार्मर स्थापित होने पर श्री प्रेमलाल निषाद पिता रामजी निषाद, ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा एवं उनके मोहल्ले वासियों को लो–वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी।

तत्संबंध में आपके द्वारा चाही गयी बिन्दुओं पर निम्नानुसार जानकारी प्रेषित् हैः–

01 हॉ प्रकरण का निपटारा किया जा सकता है।

02 उक्त प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने पर निपटारा किया जाना संभव है।

03 प्रकरण से संबंधित कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र भानुप्रतापपुर (श0) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मूलप्रति के साथ दस्तावेज संलग्न है।

(3) यह कि, दिनांक 12.05.2026 दिन मंगलवार समय 2:00 बजे सुनवाई में अनावेदक श्री सुरेश कुमार ठाकुर कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, भानुप्रतापपुर एवं श्रीमती तामेश्वरी मारसकोले कनिष्ठ अभियंता, भानुप्रतापपुर शहर उपस्थित हुए। आवेदक श्री प्रेमलाल निषाद अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा निम्न कथन किया गया किः–

यह कि, दिनांक 16.02.2026 को 25 KVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए प्रकरण तैयार कर उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया था। उसके उपरांत 16.03.2026 को ग्राम सरपंच एवं ग्राम वासियों द्वारा शिकायत कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में मौखिक रूप से शिकायत किया गया तब उनको बताया गया कि आपके क्षेत्र के लिए 25 KVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हेतु प्राकल्लन तैयार कर उच्च कार्यालय को प्रेषित् किया गया है। प्रेमलाल निषाद के परिसर में दिनांक 22.04.2026 को वोल्टेज की माप की गई जिसमें 198 वोल्ट प्राप्त हुआ पुनः 23.04.2026 को वोल्टेज 200 वोल्ट प्राप्त हुआ। वोल्टेज के निवारण के लिए प्राकल्लन स्वीकृत की जा चुकी है कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत है। ठेकेदार को कार्य आबंटित कर दिया गया है जिनके द्वारा 20.05.2026 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। कार्य पूर्ण होने पर विद्युत वोल्टेज निर्धारित अनुसार प्रदान की जावेगी।

(4) फोरम के निष्कर्ष – उभय पक्षों के मौखिक एवं लिखित तर्कों के अवलोकन उपरांत फोरम के संज्ञान में ज्ञात निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

(i) यह कि, आवेदक श्री प्रेमलाल निषाद, ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा द्वारा दिनांक 16.03.2026 को विद्युत समस्या के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका शिकायत क्रमांक CGRFT110000186 है। जिस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

(ii) यह कि, उक्त शिकायत का निराकरण न होने पर आवेदक का ऑनलाईन रजिस्टर्ड ID CGRFT2J10000020 दिनांक 17.04.2026 को प्राप्त हुआ।

(iii) यह कि, उक्त शिकायत के संबंध में अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर की वोल्टेज का जांच किया गया जिसमें दिनांक 22.04.2026 को 198 वोल्ट वोल्टेज एवं दिनांक 23.04.2026 को 200 वोल्ट वोल्टेज पाया गया।

(iv) यह कि, उक्त वोल्टेज के संबंध में अनावेदक द्वारा अपने लिखित जवाबदावा प्रत्युत्तर में लेख कर बताया गया कि, ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा में लो–वोल्टेज की समस्या का निवारण संबंध में कनिष्ठ यंत्री वितरण केन्द्र–भानुप्रतापपुर (श0) द्वारा 25 के0व्ही0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का प्राकल्लन तैयार कर पत्र क्रमांक 507 दिनांक 16.02.2026 कार्य0 अभियंता (सं0/सं0) संभाग, भानुप्रतापपुर को प्रेषित् किया गया। उक्त प्रकरण की तकनीकी स्वीकृति हेतु अनावेदक द्वारा उच्च कार्यालय अधीक्षण यंत्री (वृत्त) कांकेर को प्रेषित किया गया। अधीक्षण यंत्री (वृत्त) कांकेर द्वारा कार्यालयीन टीप क्रमांक 5962 दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान दिया गया। तत्पश्चात् अनावेदक के जावक क्रमांक 4410 दिनांक 23.03.2026 के तहत् कार्यपालन अभियंता (परियोजना) संभाग, कांकेर को कार्यादेश जारी किया गया वर्तमान में उक्त प्रकरण परियोजना संभाग, कांकेर में कार्य सम्पादन हेतु प्रक्रियाधीन है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा में 25 के0व्ही0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया जावेगा, नये ट्रांसफार्मर स्थापित होने पर श्री प्रेमलाल निषाद पिता रामजी निषाद, ग्राम नारायणपुर कुकरीपारा एवं उनके मोहल्ले वासियों को लो–वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी।

(v) यह कि, सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा बताया गया कि, वोल्टेज के निवारण के लिए प्राकल्लन स्वीकृत की जा चुकी है कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत है। ठेकेदार को कार्य आबंटित कर दिया गया है जिनके द्वारा 20.05.2026 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। कार्य पूर्ण होने पर विद्युत वोल्टेज निर्धारित अनुसार प्रदान की जावेगी।

(5) फोरम का निर्णय – आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं दस्तावेजों के अध्ययन/विवेचन से फोरम इस निर्णय पर पहुंचता है कि :–

यह कि, फोरम अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, भानुप्रतापपुर को निर्देशित करता है कि :–

(i) विद्युत वोल्टेज संबंधी कार्य दिनांक 20.05.2026 तक पूर्ण किया जावे।

(ii) निर्धारित अनुसार विद्युत वोल्टेज प्रदान किया जावे।

(iii) आवेदक के लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन फोरम को उपलब्ध करावें।

(6) आदेश पारित।

(7) प्रकरण निराकृत।

(8) यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिवस के भीतर **माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर (छ0ग0)** में अपील कर सकता है।

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर